

'पेंशन प्रश्नावली' पेंशनर कॉर्नर

क्र सं	प्रश्न	उत्तर
1	पेंशन स्वीकृता अधिकारी कौन होता है ।	कार्मिक जिस विभाग में काम करता है वो विभाग ही पेंशन स्वीकृती कर्ता होता है। नियुक्ति अधिकारी द्वारा सेवानिवृति आदेश जारी करने के पश्चात कार्यालयाध्यक्ष पेंशन प्रपत्र तैयार कर पेंशन विभाग को प्रस्तुत करता है तब पेंशन विभाग भुगतान हेतु अधिकृतियां जारी करता है ।
2	सेवानिवृति कितने वर्ष की आयु में होती है ।	कार्मिक जब 60 वर्ष का हो जाता है ।
3	पेंशन कुलक कब भरना/भरवाना चाहिए ।	कार्मिक के सेवानिवृति के 8 माह पूर्व, वित्त विभाग के आदेश दिनांक 1.3.2017 विस्तृत निर्देशों को भी पढ़े ।
4	पेंशन कुलक पेंशन विभाग में कब प्रस्तुत किया जा सकता है ।	सेवानिवृति तिथि से न्यूनतम 6 माह पूर्व ।
5	कार्मिक स्वैच्छिक सेवानिवृति के लिए कब आवेदन करने योग्य हो जाता है ।	कार्मिक जिसने 15 वर्षों की पेंशन योग्य सेवा पूरी करने पर ।
6	स्वैच्छिक सेवानिवृति का आवेदन किसे व कब करें ।	कार्मिक 3 माह पूर्व, नियुक्ति अधिकारी को उचित माध्यम से ।
7	स्वैच्छिक सेवानिवृति पर कितने वर्षों की नोशनल सेवा का लाभ मिलता है ।	1.07.2013 से स्वैच्छिक सेवानिवृति पर नोशनल सेवा का लाभ देय नहीं है, वास्तविक पेंशन योग्य सेवा के आधार पर पेंशन बनेगी ।
8	सेवानिवृति आदेश कौन और कब जारी करेगा ।	नियुक्ति अधिकारी अपने कार्मिकों की सेवानिवृति के 1 वर्ष पहले ।
9	कार्मिक एवं कार्यालय को पेंशन प्रकरण तैयार करने से पूर्व क्या ध्यान करे ।	कार्मिक का नाम सेवाभिलेख के अनुसार हो तथा पै मैनेजर, आधार कार्ड आदि में एक सा नाम एवं स्पेलिंग एवं जन्मतिथि का मिलान हो । कार्यालय एवं कार्मिक के लिए विस्तृत निर्देश पेंशन नियमों के परिशिष्ट-8 व 11 क्रमशः में उल्लेखित है।

10	पेंशन विभाग में कुलक के साथ ओर क्या रिकॉर्ड भेजे ।	कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्याक्ष सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक का पेंशन कुलक, सेवापुस्तिका, सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति, विभागीय जांच बकाया न होने का प्रमाण पत्र, पे मैनेजर की वेतनपर्ची, employee ID, Office DDO code कुलक में मोबाईल नम्बर और लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र सेवापुस्तिका में दर्ज करके भिजवावे ।
11	सेवानिवृत्त होने वाला कार्मिक अपनी पेंशन कहा प्राप्त कर सकता है ।	कार्मिक अपनी इच्छा से भारतवर्ष में कही पर भी भारतीय मुद्रा में पेंशन प्राप्त कर सकता है । कोषालय का उल्लेख पेंशन कुलक में यथास्थान अपनी इच्छा से भरे।
12	वर्तमान में न्यूनतम पेंशन राशि कितनी है ।	सातवें वेतनमान के अनुसार रू. 8850/- न्यूनतम पेंशन है ।
13	पेंशन के साथ क्या मिलता है ।	स्वीकृत पेंशन के साथ महंगाई राहत ओर भुगतान होती है, जो समय-समय पर राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार बढ़ती भी रहती है ।
14	पेंशन स्वीकृति अधिकृतियां जारी होने के पश्चात कार्मिक क्या करें ।	पेंशन विभाग से अधिकृतियां मिलने के बाद तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात कोषालय में जहां पेंशन भुगतान चाहा है/जो अधिकृति में उल्लेखित है वहां उपस्थित हो । साथ में अंतिम कार्यालय से जारी नो-ड्यूज, एलपीसी, जीए-55ए, आधारकार्ड, बैंक पास बुक छाया प्रति, संयुक्त फोटो-3 या 4, गवाह लेकर उपस्थित होंगे ।
15	पीपीओ पेंशन भुगतान आदेश में नाम, तिथि आदि में त्रुटि हो तो क्या करें ।	तुरन्त अन्तिम कार्यालय एवं पेंशन विभाग को सूचित करें ।
16	पूर्व में जारी पीपीओ में पत्नी के नाम जन्मतिथि में अन्तर हो या परिवर्तन आवश्यक हो तो कहा आवेदन करें ।	पेंशनर अपने अंतिम कार्यालय जहां से सेवानिवृत्त हुआ है उस कार्यालय में आवेदन करे, सीधे पेंशन विभाग को नहीं ।
17	पीपीओ जारी हो चुका है परन्तु पेंशन आरम्भ नहीं हुई अथवा अब पेंशन नहीं आ रही है तो क्या करें ।	पेंशनर कोषाधिकारी एवं बैंक से सम्पर्क करे एवं आवेदन करे, पेंशन विभाग में नहीं ।
18	पेंशन राशि कम प्राप्त हुई, किसे कहे ।	पेंशनर पहले बैंक में जहाँ उसका पेंशन का खाता है उस बैंक शाखा में सम्पर्क करे, बाद में समाधान न होने पर कोषालय को आवेदन करे ।

19	स्वीकृत पीपीओ में पारिवारिक पेंशनर का नाम अंकित नहीं है तो क्या करें ।	अंतिम कार्यालय के माध्यम से आवेदन पेंशन अधिकृति जारी करने वाले कार्यालय को भिजवावे ।
20	पेंशन रूपान्तरण राशि 14 वर्ष कटौती के बाद भी कट रही है ।	पेंशनर संबंधित बैंक एवं कोषालय को सूचित करें, पेंशन विभाग को नहीं ।
21	पेंशनर पेंशन प्राप्त कर रहा है, बाद में अपनी पेंशन अन्य स्थान पर हस्तान्तरण करवाना चाहता है ।	पेंशनर को संबंधित कोषालय में ही आवेदन करना चाहिए । राज्य के भीतर कोषाधिकारी पेंशन स्थानान्तरण हेतु सक्षम है ।
22	पेंशनर को अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र कहा प्रस्तुत करना होता है ।	पेंशनर जिस बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहा हो उसी शाखा में । पेंशनर चाहे तो वित्त विभाग के आदेश दिनांक 19.10.2015 अनुसार jeevanpramaan.gov.in ऑनलाईन सुविधा ले सकता है ।
23	विधवा एवं परित्यक्ता पुत्री को क्या पारिवारिक पेंशन देय है ।	पेंशनर एवं उसके जीवनसाथी की मृत्यु के पश्चात राज्यादेश दिनांक 4.9.2012 के अनुसार पारिवारिक पेंशन देय है ।
24	विधवा एवं परित्यक्ता अथवा अविवाहित पुत्री पारिवारिक पेंशन के लिए कहाँ आवेदन करे ।	पेंशनर के अंतिम कार्यालय को, जहां से सेवानिवृत्त हुआ था ।
25	पुत्र को पारिवारिक पेंशन कब तक देय होगी ।	पुत्र के अविवाहित रहने अथवा 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा मासिक आय रु 9500/- (सातवें वेतनमान में) से अधिक अर्जित करने तक जो भी पहले हो।
26	पुत्री पारिवारिक पेंशन कब तक प्राप्त करेगी ।	विवाह की तारीख तक या मासिक आय रु.9500/- से अधिक की मासिक आय तक, जो भी पहले हो ।
27	विधवा या विधुर को पारिवारिक पेंशन कब तक मिलती है ।	मृत्यु अथवा पुनः विवाह करने की तारीख तक, जो भी पहले हो ।
28	पारिवारिक पेंशनर राज्य सेवा में भी कार्यरत है तो क्या पारिवारिक पेंशन के साथ महंगाई राहत भी	जी हां, जून, 2018 से वेतन पर महंगाई के साथ पारिवारिक पेंशन पर भी महंगाई राहत भी देय है ।

	मिलेगी ।	
29	पारिवारिक पेंशन की राशि कम हो गई है, क्या करें ।	स्वीकृत मूल पारिवारिक पेंशन अंतिम वेतन राशि की 30 प्रतिशत की दर से मिलती है। बढी हुई पारिवारिक पेंशन मृत्यु के सात वर्ष तक अथवा सरकारी कर्मचारी की आयु यदि जीवित रहता तो 67 वर्ष का होता, जो भी घटना पहले आए व तब तक अंन्तिम वेतन का 50 प्रतिशत की दर से मिलती है बाद में साधारण दर 30 प्रतिशत की दर से मिलेगी। यदि कार्मिक ने सात वर्ष या ज्यादा की सेवा होने पर । 7 वर्ष से कम सेवा पर 30 प्रतिशत की दर से ही पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ से ही देय होगी
30	भूतपूर्व सैनिक जो बाद में राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हुआ के परिवार को राज्य सरकार की सेवा की पारिवारिक पेंशन देय है ।	जी हां, दिनांक 18.03.2015 से भूतपूर्व सैनिक जो राज्य सेवा से सेवानिवृत्त/सेवा में रहते मृत्यु होने पर परिवार राज्य सेवा एवं सैनिक सेवा की दोनों पारिवारिक पेंशन प्राप्त करेगा । परन्तु न्यूनतम पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगी केवल अंतिम वेतन के 30 प्रतिशत की दर से ।
31	कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन किसे पहले मिलेगी ।	प्रथम पति या पत्नी यथास्थिति, उसके अपात्र होने पर अथवा पीछे पति/पत्नी के न होने पर जन्मतिथि के अनुसार उम्र में बड़ी सन्तान को पहले (पात्रता रखता है तो) उसके पश्चात बड़े से छोट के क्रम में । माता-पिता को , यदि मृतक कर्मचारी के पीछे न तो विधवा रही हो और न ही कोई संतान तो, पहले माता को पात्रता रखने पर ही ।
32	एनपीएस कर्मचारी को पेंशन देय है ?	नहीं, एनपीएस कर्मचारी के सेवानिवृत्ति पर केवल ग्रेच्युटी राज्य सरकार द्वारा देय होगी, सेवानिवृत्ति/अधिवार्षिकी पेंशन देय नहीं होगी ।
33	एनपीएस कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन मिलेगी क्या ?	जी हां, एनपीएस कर्मचारी के परिवार को पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु उपरान्त पुराने कर्मचारियों के अनुसार ही अस्थाई (प्रोवीजनल) रूप से देय होगी । एनपीएस का पुरा अंशदान (स्वयं एवं नियोक्ता का) राज्य सरकार को देना होगा ।
34	मुझे पेंशन अधिकृति/पेंशन रिवीजन अधिकृति की जानकारी कैसे मिलेगी ।	पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग में रिसीट होने पर एसएमएस द्वारा मोबाईल पर प्राप्ति की जानकारी दी जाती है । इसके अलावा IFPMS वेबसाईट पर होम पेज पर जा कर वहां View Authority को क्लिक कर PPO/LR No./Empl ID या अन्य सलेक्ट कर fill (भरने) पर प्रकरण के स्टेटस की जानकारी पेंशनर स्वयं ले सकता है ।

35	पेंशनर को लीव इन्केशमेन्ट भुगतान की जानकारी कैसे हो ।	IFPMS वेब पोर्टल पर जावे तथा होम पेज पर leave encashment query status क्लिक कर employee ID/PPO/LR No. भर कर, जानकारी प्राप्त करें ।
36	सेवानिवृति पर बकाया उपार्जित अवकाश के लिए बिल नहीं बन रहा है, क्या करें ?	सर्वप्रथम पे मैनेजर पर कार्यालय द्वारा पीपीओ नम्बर employee ID से अपडेट करे तब पीपीओ नम्बर प्रदर्शित होगा तभी बिल बन जायेगा ।
37	सेवानिवृति/मृत्यु पर बकाया उपार्जित अवकाश का भुगतान का बजट मद क्या है?	2071-01-115-01-01-84.
38	सेवानिवृति/मृत्यु पर बकाया उपार्जित अवकाश का बजट कार्यालय को मिला या नहीं कहा देखें ?	IFMS साईट पर बजट मद 2071-01-115-01-01-84 देखें ।
39	सेवानिवृति/मृत्यु पर बकाया उपार्जित अवकाश का बजट नहीं आया है, क्या करें ?	सर्वप्रथम देखें कि क्या कर्मचारी का पीपीओ जारी हो गया है, पीपीओ जारी होने पर ही बजट आएगा अन्यथा नहीं ।
40	पीपीओ/एफपीओ जारी हो गया है फिर भी उपार्जित अवकाश का बजट नहीं मिला है ।	सर्वप्रथम पीपीओ में दर्ज नाम स्पेलिंग, जन्म तिथि, कार्यग्रहण तिथि, सेवानिवृति या मृत्यु दिनांक, पता, पद आदि का मिलान पे मैनेजर डाटा से करें । यदि मिसमैच है तो डाटा अपडेट करे तथा उसके पश्चात पेंशन विभाग के क्षेत्रिय कार्यालय को सूचित करें । बजट मांग करें, IFMS पर लगातार चैक करते रहे ।
41	उपार्जित अवकाश के एरियर/अतिरिक्त मांग हेतु क्या करें ।	पेंशन विभाग को बजट मांगपत्र कर्मचारी का नाम, पीपीओ नम्बर, employee ID एवं राशि सहित भिजवावें ।
42	पेंशनर से अपनी पेंशन का रूपान्तरण करवाया है, कटौती कितने समय तक होगी।	पेंशन रूपान्तरण राशि का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात 14 वर्ष तक कटौती होगी।
43	पेंशन रूपान्तरण के स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी है ।	सेवानिवृति के एक वर्ष के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

44	प्रोवीजनल पेंशनर जांच में बरी हुआ, पेंशन रूपान्तरण ले सकता है ।	जी हां, विभागीय जांच बकाया न होने का प्रमाण पत्र जारी होने के एक वर्ष के भीतर बिना स्वास्थ्य परीक्षण एवं एक वर्ष बाद में स्वास्थ्य परीक्षण में फिट होने पर।
45	पेंशन रूपान्तरण किया हुआ है, तथा पेंशनर की मृत्यु होने के बाद पारिवारिक पेंशन से रूपान्तरित राशि की कटौती होगी ।	नहीं, पारिवारिक पेंशन से रूपान्तरित राशि की कटौती नहीं होगी ।
46	पेंशनर का पीपीओ गुम हो गया है, कट-फट गया है, क्या करें ।	पेंशनर डुप्लीकेट पीपीओ हेतु जहां से पेंशन प्राप्त कर रहा है उस कोषालय/उप कोषालय में आवेदन करें, पेंशन विभाग में नहीं ।
47	पारिवारिक पेंशनर 80 वर्ष से या ज्यादा उम्र का हो गया है अतिरिक्त पेंशन हेतु कहां आवेदन करें ।	संबंधित कोषाधिकारी / बैंक को।
48	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि अंकित नहीं है, कहां आवेदन करें ।	जन्मतिथि निर्धारण हेतु दिनांक 12.8.2009 से पहले को कोई प्रुफ के साथ पेंशन विभाग की सीधे आवेदन करें ।
49	विभागीय जांच या न्यायालय प्रकरण बकाया है, तो क्या पेंशन स्वीकृत होगी ।	जी हां, प्रोवीजनल पेंशन नियम 90 के तहत नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात प्रपत्र-3, 5ए, 33 मय सेवापुस्तिका के पेंशन विभाग प्रकरण भेजा जावेगा। प्रोविजनल पेंशन के समय ग्रेच्युटी व कम्प्यूटेशन देय नहीं होगा।
50	प्रोवीजनल पेंशन कितनी होगी ।	कर्मचारी की पेंशन योग्य सेवा के आधार पर 100 प्रतिशत पेंशन, नियमानुसार देय होगी । ग्रेच्युटी विभागीय जांच/न्यायालय प्रकरण बकाया पर देय नहीं होगी । प्रोवीजनल पेंशन नियम 86 के तहत विभागीय जांच आदि बकाया नहीं हो तो 100 प्रतिशत पेंशन तथा 75 प्रतिशत ग्रेच्युटी देय होगी ।
51	प्रोवीजनल पेंशन में कम्प्यूटेशन रूपान्तरित हो सकेगी ।	नहीं ।